लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
073/2023 (GCMS 2023/279)	10.10.2023	01.11.2023

अनवान

कोमल बारेगामा पिता बंशीलाल बारेगामा निवासी बस स्टैण्ड कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 97829 89999)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./073/2023(सू.अ.)(01.11.2023)/780 दिनांक 10.10.2023 से अपील मेमों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 01.11.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/287 दिनांक 18.10.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री कोमल बारेगामा पिता बंशीलाल बारेगामा निवासी बस स्टैण्ड कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 97829 89999) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन-पत्र इस कार्यालय में दिनांक 05.09.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से मूल ही आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक/डीएम/पीए/लोसूअ/2023/125 दिनांक 11.09.2023 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगता कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरांत वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 01.09.2023 के बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना चाही गई है की विषय वस्तु एवं सूचना अधिशाषी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी, नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के पास उपलबध हैं एवं इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2023 में स्वीकार किया गया हैं, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी से सहमत है जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन है जिससे खारीज किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन को आवेदन के संबंध में वांछित हेतु सक्षम लोक सूचना अधिकारी को अन्तर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अंतरित कर दिया गया हैं। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अंतरण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समयावधि में किया जाकर कर आवेदक को सूचित किया गया हैं। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2023 का अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निस्तारण किया गया हैं, इसके साथ ही आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त किया जाना अपेक्षित हैं, तथा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवेदक अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 01.09.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 05.09.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् बलहीन होकर सारहीन से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.11.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)